

वित्त लेखे

(खण्ड - 1)

2012-13

>kj [k.M ljdkj

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ
खण्ड 1		
■ विषय-सूची		(i) - (ii)
■ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	...	(iii) - (iv)
■ वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	...	(v) - (viii)
1 : वित्तीय स्थिति का विवरण	...	1 - 2
2 : प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का विवरण	...	3 - 4
3 : प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	...	5 - 9
4 : व्यय का विवरण (समेकित निधि) कार्यात्मक एवं प्रकृति अनुसार	...	10 - 15
■ लेखे पर टिप्पणियाँ	...	16 - 30
■ परिशिष्ट I : रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश	...	31 - 32
खण्ड 2		
भाग I		
5 : प्रगामी पूँजीगत परिव्यय का विवरण	...	33 - 37
6 : उधार ली गयी राशियों एवं अन्य देयताओं का विवरण	...	38 - 41
7 : सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण	...	42 - 50
8 : सरकार द्वारा दिये गये सहायक-अनुदान का विवरण	...	51 - 52
9 : सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण	...	53 - 54
10 : प्रभारित और दत्तमत व्यय का विवरण	...	55 - 57
भाग II		
11 : लघु-शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण	...	58 - 91
12 : लघु-शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण	...	92 - 155
13 : पूँजीगत परिव्यय का विस्तृत विवरण	...	156 - 235
14 : सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण	...	236 - 254
15 : उधार एवं अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण	...	255 - 270
16 : सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विस्तृत विवरण	...	271 - 293
17 : राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं इसके उपयोग का विस्तृत विवरण	...	294 - 296

विषय	पृष्ठ
18 : आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेनदेनों का विस्तृत विवरण ...	297 - 307
19 : उद्दिष्ट निधियों के निवेश से संबंधित विस्तृत विवरण ...	308
भाग III : परिशिष्ट	
II : वेतन पर तुलनात्मक व्यय ...	309 - 319
III : सबसिडी पर तुलनात्मक व्यय ...	320 - 334
IV : सहायक अनुदान (योजनावार एवं संस्थावार) ...	335 - 391
V : बाह्य सम्पोषित परियोजनाएं ...	392
VI : योजनागत योजना व्यय (केन्द्रीय एवं राज्य की योजनागत योजना) ...	393 - 405
VII : क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे स्थानान्तरित की गई निधियाँ ...	406 - 410
VIII : शेषों का सारांश ...	411 - 417
IX : सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम ...	418
X : अपूर्ण निर्माण कार्य ...	419- 502
XI : वेतन एवं गैर-वेतन हिस्सों में विभाजित अनुरक्षण व्यय ...	503 - 506
XII : राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, वैसे मदों का विवरण जिसके शेषों के बँटवारे का निर्णय नहीं हुआ है ...	507 - 512
XIII : वर्ष के दौरान भविष्य के रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं पर मुख्य नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन को दर्शानेवाला विवरण (31.03.2013 को) ...	513 - 514
XIV : 31.03.2013 के अन्त तक भविष्य में राज्य के वचनबद्ध देयताओं के संबंध में सूचना ...	515

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। खंड I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खंड II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के साथ पठित बिहार पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें झारखण्ड सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों {7 (ii), 8, 9,14,15 (ख)(i) तथा 15 (ग)(i)}, व्याख्यात्मक टिप्पणियों {विवरण संख्या 5 का 6 (क) तथा 6 (ख) और विवरण संख्या 11 का टिप्पणी (iii) } और परिशिष्टों { v, vi, ix (i), ix (ii), x तथा xi } को झारखण्ड सरकार/निगमों/कम्पनियों/सोसाइटियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।


झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन **महालेखाकार (ले. एवं हक.)** के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)** के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक “लेखाओं के लिए टिप्पणियों” के साथ पठित वित्त लेखे 2012-13 वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली झारखण्ड सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

दिनांक :
नई दिल्ली 26 SEPT., 2013


(शाश कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

क. सरकारी लेखे की संरचना का विस्तृत अवलोकन


1. सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :-

भाग I : समेकित निधि : राजस्व एवं पूंजीगत लेखे, लोक ऋण तथा कर्जे एवं पेशगियां के सभी प्राप्तियों और व्यय, राज्य के समेकित निधि का निर्माण करते हैं।

भाग II : आकस्मिकता निधि : विधायिका, विधिसम्मत एक आकस्मिकता निधि, जो कि अग्रदाय निधि की प्रकृति का है, की स्थापना कर सकती है। इस निधि को राज्यपाल के अधीन निष्पादन हेतु इस अधिकार के साथ रखा गया है कि वे जैसे आकस्मिक व्यय से निपटने हेतु अग्रिम प्रदान कर सकें, जिस व्यय को राज्य विधान मंडल के द्वारा अधिकृत किया जाना लम्बित है। राज्य के समेकित निधि के संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को नामे द्वारा इस निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III : लोक लेखा : सरकार के द्वारा या सरकार की तरफ से प्राप्त किये गये अन्य सभी लोक धनों को लोक लेखा में जमा के रूप में दर्ज किया जाता है। इस लेखे से किए गए व्यय पर विधान मंडल के मत की आवश्यकता नहीं होती है। इस लेखे में प्राप्तियों के संबंध में सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। ऋण (भाग I में लोक ऋण से भिन्न), जमाओं, अग्रिमों, आरक्षित निधियों, प्रेषणों तथा उचंत से संबंधित लेन देनों से लोक लेखा का निर्माण होता है।

क. 1.1 सरकारी लेखे की संरचना का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण



2. भाग, अनुभाग, खण्ड इत्यादि

समेकित निधि में लेखे के दो मुख्य भाग होते हैं जैसा कि पूर्व पृष्ठ क. 1.1 में उद्धृत किया गया है, “राजस्व” और “पूंजी”, “लोक ऋण”, “कर्जे-इत्यादि” जिन्हें दो अनुभागों “राजस्व” तथा “व्यय” में विभाजित किया गया है। समेकित निधि के प्रत्येक भाग तथा अनुभाग के अन्दर व्यय पक्ष के लेन देनों को सामुहिक रूप से “खण्ड” में यथा “सामान्य सेवाएं”, “आर्थिक सेवाएं” के तहत निर्दिष्ट विशेष कार्य या सेवाओं में संयोजित किया गया है। खण्डों को पुनः “उप-खण्डों/लेखा के मुख्य शीर्षों” में विभाजित किया गया है। मुख्य शीर्ष, कार्य प्रकृति से संबंधित होता है जिसे पुनः “उप-मुख्य शीर्षों” (उप-कार्यों) तथा “लघु शीर्षों” (कार्यक्रमों) में विभाजित किया गया है, जैसा कि वित्त लेखे के खण्ड दो में उद्धृत है। लेखा के लघु शीर्षों के नीचे वर्गीकरण यथा उपशीर्ष (योजना) और विस्तृत तथा वस्तु शीर्ष (व्यय की प्राथमिक इकाई) का उद्धरण (कुछ अपवादों को छोड़कर) वित्त लेखें में नहीं किया जाता है, तथापि परिशिष्टों में कुछ विस्तृत जानकारियों को सम्मिलित किया जाता है।

ख. विवरणों में क्या अन्तर्विष्ट है

वित्त लेखे को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड 1 सरकार के वित्तीय विवरणों को सर्वसामान्य समझने योग्य सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि खण्ड 2 में विस्तृत विवरण को प्रस्तुत किया जाता है।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, चार संक्षिप्त विवरणों, जैसा कि नीचे दिया गया है तथा लेखाकरण नीति सहित “लेखे पर टिप्पणियाँ” समाविष्ट हैं।

- वित्तीय स्थिति का विवरण:** सरकार के परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के समेकित आंकड़े, जैसा कि वर्ष के अन्त में था, को इस विवरण में उद्धृत किया गया है। परिसम्पत्तियाँ, जो कि प्रगामी पूंजीगत परिव्यय के आँकड़ों के साथ वृहत वित्तीय परिसम्पत्तियों को इंगित करता है। लेखाकरण नीति के अनुसार, परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य पर उद्धृत किया गया है। परिसम्पत्तियाँ, जो कि प्रगामी पूंजीगत परिव्यय के आँकड़ों के साथ वृहत वित्तीय परिसम्पत्तियाँ हैं, सरकार की भौतिक परिसम्पत्तियों को इंगित करता है। लेखाकरण नीति के अनुसार, परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य पर उद्धृत किया जाता है।
- प्राप्तियों और व्ययों का विवरण:** यह एक संक्षिप्त विवरण है, जो कि सभी तीनों भागों यथानामित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे, जिसमें कि सरकारी लेखे रखे जाते हैं, वर्ष के दौरान सरकार के सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त समेकित निधि के अधीन राजस्व तथा पूंजी लेखा पर प्राप्तियों एवं व्ययों को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। सरकार के राजकोषीय मानकों यथा प्राथमिक, राजस्व तथा राजकोषीय घाटे की गणना राज्य के समेकित निधि के संचालन पर की जाती है। अतः निम्नलिखित दो विवरण, समेकित निधि के संचालनों को संक्षिप्त रूप में दर्शाते हैं।
- प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) :** राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों तथा सरकार के उधारों से प्राप्तियाँ, जिसमें भारत सरकार से प्राप्त कर्जे, अन्य संस्थानों, सरकार द्वारा उगाहे गये बाजार कर्जे, सरकार द्वारा दिए गए “ऋण तथा अग्रिम” की वसूलियाँ, सम्मिलित हैं, से संबंधित राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ, इस विवरण में समाविष्ट हैं।
- व्यय का विवरण (समेकित निधि) :** यह विवरण केवल कार्यात्मक व्यय (क्रियाकलाप) को ही नहीं, बल्कि कार्य की प्रकृति (वस्तुनिष्ठ व्यय) के सारांशित व्यय को भी प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त इस खण्ड में ‘परिशिष्ट 1’ समाविष्ट है, ‘जो कैश फ्लो’ के रूप में सरकार के प्राप्तियों एवं व्ययों का एक उद्धरण है।

खण्ड 2 में तीन भाग समाविष्ट होते हैं। **भाग 1 में छः विवरण शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं-**

- प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण प्रगामी पूंजीगत व्यय का कार्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, जिसके कुल योग को **विवरण 1** में उद्धृत किया जाता है।
- उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण:** सरकार के उधार में, सरकार द्वारा उगाहे गये बाजार कर्जे (आंतरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त “कर्जे तथा अग्रिम” शामिल हैं। ये दोनों मिलकर राज्य सरकार के “लोक ऋण” का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरण “अन्य देयताओं”, जो कि लोक लेखा में विभिन्न लेखा खण्डों के अंतर्गत शेष होते हैं, को उद्धृत करता है। परवर्ती के संबंध में सरकार एक ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में निधि की देखभाल करती है, अतः ये सरकार के देयताओं का निर्माण करती है। इस विवरण में ऋण की सेवाओं पर एक टिप्पणी, यथा राजस्व प्राप्तियों से निवल देय ब्याज की मात्रा पर टिप्पणी, भी समाविष्ट है।

7. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जे तथा अग्रिमों का विवरण:** विवरण 1 में राज्य सरकार द्वारा दिए गए “कर्जे एवं अग्रिमों” का उल्लेख किया जाता है तथा विवरण 2, 3 एवं 4 में वापसियों, भुगतान की रूप-रेखा का उल्लेख किया जाता है। यहाँ, कर्जे तथा अग्रिम को सारांशित खण्ड में तथा लेनदारों को सामूहिक रूप में दर्शाया जाता है। इसके उत्तरवर्ती, कर्जे तथा अग्रिम को सारांशित खण्ड में तथा लेनदारों को सामूहिक रूप में दर्शाया जाता है। इसके उत्तरवर्ती, कर्जे के संबंध में बकाए वापसियों पर टिप्पणी, जिसका विस्तृत विवरण महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के विभागों द्वारा रखा जाता है।
8. **सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान का विवरण :** इस विवरण में अनुदानों का ब्यौरा उल्लेखित है। इसमें सामग्री के रूप में दिए गए सहायक अनुदान पर टिप्पणी भी शामिल है।
9. **सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण:** वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों द्वारा उगाहे गये कर्जों के पुनर्भुगतान इत्यादि के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों और वर्ष के अंत में ली गई गारंटी की बकाया राशि को इस विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।
10. **मतदेय एवं भारित व्यय का विवरण:** यह विवरण सरकार के मतदेय एवं भारित व्ययों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है।
खण्ड 2 भाग II : इस भाग में 9 विवरणों का समाविष्ट किया गया है, जो खण्ड 1 में विवरणों तथा खण्ड 2 के भाग I में विवरणों के सदृश, लघु शीर्षवार लेन-देनों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है।
11. **लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियां का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकार के राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है।
12. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है। गैर-योजना एवं योजना के आँकड़ों को अलग-अलग उद्धृत किया जाता है जिसे गत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में दर्शाया जाता है।
13. **पूंजीगत व्ययों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण सरकार के पूंजीगत व्ययों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है। गैर-योजना एवं योजना के आँकड़ों को अलग-अलग उद्धृत किया जाता है जिसे वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में दर्शाया जाता है। वर्ष के अंत तक के संचित पूंजीगत व्यय को भी इस विवरण में दर्शाया जाता है।
14. **सरकार के निवेश संबंधी विस्तृत विवरण:** इस विवरण में चालू एवं गत वर्ष के लिए विभिन्न निकायों के हिस्सा-पूँजी और डिबेंचरों में किए गए सरकारी निवेश की स्थिति को दर्शाया जाता है। विवरण में हिस्सों के प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश इत्यादि को भी शामिल किया जाता है।
15. **उधार एवं अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण:** लघु शीर्षवार उधार का विवरण (सरकार द्वारा उगाहे गए बाजार कर्जे तथा भारत सरकार से प्राप्त कर्जे आदि), सभी कर्जों की परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान परिच्छेदिका को इस विवरण में उपलब्ध कराया जाता है। यह विस्तृत विवरण खण्ड 2 के भाग I में विवरण 6 के सदृश है।
16. **सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण:** सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण, कर्ज के शेषों में अन्तर, कर्जों को बट्टे खातों में डाले जाने, कर्जों पर ब्याज प्राप्ति, इत्यादि का ब्यौरा इस विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। यह योजना कर्जों को अलग से भी दर्शाता है। यह विस्तृत विवरण खण्ड 2 के भाग I के विवरण 7 के सदृश है।
17. **राजस्व लेखे से भिन्न व्यय हेतु निधियों, स्रोत तथा उपयोग पर विस्तृत विवरण:** पूंजी तथा अन्य व्यय (राजस्व लेखे से भिन्न) तथा व्यय के लिए निधि के स्रोतों का ब्यौरा इस विवरण में दर्शाया जाता है।
18. **आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखे के लेन-देनों का विस्तृत विवरण:** यह विवरण वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में हुए बदलाव, निधि में हुए विनियोजनों, व्ययों, राशि की भरपाई, इत्यादि को दर्शाता है। लोक लेखे में हुए लेन-देनों का विस्तृत ब्यौरे का भी उद्धरण इस विवरण में मिलता है।
19. **कर्णांकित निधियों के निवेश को दर्शानेवाला विस्तृत विवरण:** लोक लेखे में आरक्षित निधि से किए जाने वाले निवेशों के विस्तृत ब्यौरे को इस विवरण में दर्शाया जाता है।

खण्ड 2, भाग III : वेतन, सब्सिडी, योजनावार एवं संस्थानवार सहायक अनुदान, बाह्य संपोषित योजनाओं का विस्तृत विवरण, वृहत केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य योजनागत योजनाओं आदि के संबंध में योजनावार व्यय पर **परिशिष्टों** का इसमें समावेश है। ये सभी ब्यौरे लेखे में उपशीर्षवार अथवा उससे नीचे (यथा लघु शीर्ष स्तर से नीचे) के स्तर पर मौजूद रहते हैं एवं इसलिये

इन्हें अलग से वित्त लेखों में नहीं दर्शाया जाता है। इसके विस्तृत सूची के लिए कृपया खण्ड 1 अथवा 2 के सूचकांक का संदर्भ लें। परिशिष्टों के साथ पठित विवरण राज्य सरकार में अभिभावी राज्य की वित्त व्यवस्था का सम्पूर्ण तस्वीर प्रदान करता है।

ग. सुलभ गणक

विवरणों में क्या समाहित है, इसे शीघ्रता से जानने के लिए कृपया निम्न तालिका का संदर्भ लें। महत्वपूर्ण मानकों से संबंधित संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण को नीचे उद्धृत किया गया है। नीचे उद्धृत परिशिष्टों की संख्या विस्तृत नहीं है।

मानक	संक्षिप्त विवरण (खण्ड 1)	विस्तृत विवरण (खण्ड 2)	परिशिष्ट (खण्ड 1 एवं 2)
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदानों सहित)	2, 3	11	
राजस्व व्यय	2, 4	12	II (वेतन) III (सब्सिडी)
सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान	2	8	IV
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	11	
पूँजीगत व्यय	1, 2, 4	5, 13, 17	
सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिम	1, 2, 7	16	
कर्ज की स्थिति/उधार	1, 2, 6	15	
कम्पनियों/निगमों आदि में सरकार का निवेश		14	
रोकड़	1, 2		I, VIII
लोक लेखा तथा उसमें किए गए निवेश का शेष	1, 2	18, 19	
गारंटी		9	
योजनाएं			V (बाह्य संपोषित परियोजनाएं) VI, VII

खाता समायोजन:

कुछ लेन-देन, खाता समायोजन की प्रकृति के होते हैं तथा वास्तविक रोकड़ लेन-देन, जैसा कि नीचे उद्धृत है, को नहीं दर्शाते हैं। विशेष ब्यौरा “लेखे पर टिप्पणियाँ” के रूप में तथा संबंधित विवरणों में पाद टिप्पणियों के रूप में उल्लेखित है।

- वेतन से सभी कटौतियों का समायोजन (सामान्य भविष्य निधि, दिये गये अग्रिमों की वापसियाँ आदि), कार्यात्मक मुख्य शीर्षों (संबंधित विभाग का) के नामे डालकर, राजस्व प्राप्तियों के रूप में खाता समायोजन किया जाता है (यथा सा०भ०नि० से भिन्न कटौतियाँ)/ लोक लेखा (यथा सा०भ०नि०)।
- निधियों का सृजन/लोक लेखे में अंशदान का निधियों में समायोजन समेकित निधियों के नामे द्वारा किया जाता है यथा, आपदा राहत निधि, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप निधि इत्यादि।
- लोक लेखे में “जमा” लेखा शीर्षों को “जमा” तथा समेकित निधि को “नामे” दर्शाया जाता है।
- सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन तथा राज्य सरकार सामूहिक बीमा योजना, जहाँ राज्य सरकार के सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन, “2049-ब्याज अदायगियाँ” को नामे तथा “8009-राज्य भविष्य निधि” को जमा के द्वारा किया जाता है।
- अनिवार्य समायोजनों जैसे कि “ऋण शोधन योजना” का समायोजन वित्त आयोग के अनुशांसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। यह दोनों “राजस्व प्राप्तियाँ” एवं लोक ऋण शीर्षों को प्रभावित करता है, जहाँ “0075- विविध सामान्य सेवाएं” को जमा तथा “6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम” को “प्रति इन्द्रराज” के द्वारा केन्द्रीय कर्जों को माफ किया जाता है।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण

परिसम्पत्तियां [1]	संदर्भ (क्रम संख्या) लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी	31 मार्च 2012 तक	31 मार्च 2013 तक
(करोड़ रूपयों में)				
रोकड़				
(i)	कोषागारों में रोकड़ और स्थानीय प्रेषण	
(ii)	विभागीय शेष	18	18.48	14.57
(iii)	स्थायी अग्रदाय	18	0.11	0.11
(iv)	रोकड़ शेष निवेश	18	4.41	7,46.57
(v)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (यदि शेष जमा हो तो घटाव चिन्ह दें।)	परिच्छेद 3 (iii) 18	93.85	(-)56.50
(vi)	उद्धिष्ट निधियों के निवेश [2]	19
पूंजीगत व्यय				
(i)	कम्पनियों, निगमों के शेयर में निवेश	14	1,01.86	1,07.11
(ii)	अन्य पूंजीगत व्यय	13	2,14,29.06	2,56,42.24
(iii)	अन्तरराज्यीय समायोजन		75.40	1,00.00
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)				
	कर्म और पेशगियां	परिच्छेद 4 (iii) 7,16	71,90.15	77,47.85
	विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम	18	12.14	12.72
	उच्चत और विविध शेष [3]	परिच्छेद 4 (v) 18
	प्रेषण शेष	18	2,70.17	4,11.86
	प्राप्तियों से अधिक इकट्ठा खर्च [4]		16,96.61	4,02.32
जोड़			3,08,92.24	3,51,28.85

- [1] परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े इकट्ठे हैं। कृपया अनुभाग “लेखे पर टिप्पणियां” का नोट 1(ii) भी देखें।
- [2] उद्धिष्ट निधियों में से किए गए कम्पनियों आदि के हिस्सा पूंजी में किए गए निवेश को पूंजीगत परिव्यय में न दर्शा कर “उद्धिष्ट निधियों से किए गए निवेशों” के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- [3] इस विवरणी में लाईन मद “उच्चत एवं विविध शेष” में “रोकड़ शेष निवेश लेखा” को शामिल न कर उसे उपर अलग से दिखाया गया है। यद्यपि यह इसी खण्ड में इन लेखाओं में अन्यत्र शामिल किया गया है।
- [4] प्राप्तियों से अधिक इकट्ठा खर्च अथवा खर्च से अधिक इकट्ठा प्राप्तियाँ इस वर्ष का राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं है यह इससे अलग है। दिनांक 31.03.2013 के आंकड़े में ₹ 1,00.00 करोड़ सम्मिलित हैं जो बिहार राज्य को भुगतान की गई पेंशन की देयता के रूप में अन्तरराज्यीय समाशोधन से संबंधित हैं।

1. वित्तीय स्थिति का विवरण-क्रमांत

दायित्व	संदर्भ (क्रम संख्या) लेखे पर टिप्पणियां	विवरणी	31 मार्च 2012 तक	31 मार्च 2013 तक
(करोड़ रूपयों में)				
उधार ली गई राशि (लोक ऋण)				
(i) आंतरिक ऋण		15	2,22,85.78	2,52,01.59
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम				
(क) योजनेतर कर्ज		15	8.79	6.38
(ख) राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज		15	20,15.62	21,18.16
(ग) केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज		15	(*)	...
(घ) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज		15	(*)	...
(ङ) अन्य कर्ज		15	(*)	...
आकस्मिकता निधि (स्थाई काया)		18	1,50.00	1,50.00
लोक लेखा का दायित्व				
(i) अल्प बचत, भविष्य निधियां आदि		18	15,27.70	15,49.86
(ii) जमा		18	43,82.78	56,73.32
(iii) आरक्षित निधियां	परिच्छेद 4 (vi)	18	4,43.10	3,19.67
(iv) प्रेषण शेष		
(v) उचत और विविध शेष	परिच्छेद 4 (v)	18	78.47	1,09.87
खर्च से अधिक इकट्ठा प्राप्तियाँ				
जोड़			3,08,92.24	3,51,28.85

(*) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम (6004) के अन्तर्गत अन्तःशेष को 13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर निरस्त किया गया। पूर्ण विवरण के लिए कृपया विवरण संख्या 15 का अवलोकन करें।

2. प्राप्तियां एवं संवितरण का विवरण

प्राप्तियां	2012-13		2011-12		संवितरण	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
भाग-1 समेकित निधि						
अनुभाग - अ: राजस्व						
राजस्व प्राप्तियां	(करोड़ रूपयों में)		राजस्व व्यय	(करोड़ रूपयों में)		
राज्य का निजी राजस्व	1,17,59.21	99,92.11				
(i) कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया)	82,23.58	69,53.89	वेतन ^[1]	64,46.02	63,05.57	
(ii) करेतर राजस्व (राज्य द्वारा उगाहा गया)			अनुदान ^[2]	64,97.81	45,17.42	
			सब्सिडी	2,69.62	2,86.38	
ब्याज प्राप्तियां	72.23	44.16	सामान्य सेवाएं			
अन्य	34,63.40	29,94.06	ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	23,91.25	22,67.08	
			पेंशन	29,31.19	22,96.69	
			अन्य	7,14.81	7,96.22	
कुल (ii) करेतर राजस्व	35,35.63	30,38.22	कुल- सामान्य सेवाएं	60,37.25	53,59.99	
			सामाजिक सेवाएं	25,92.16	25,97.73	
संघ कर का हिस्सा	81,88.14	71,69.93	आर्थिक सेवाएं	15,57.01	19,24.49	
केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान	48,22.21	52,57.41	क्षतिपूर्ति एवं स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को समनुदेशन	
कुल राजस्व प्राप्तियां	2,47,69.56	2,24,19.45	कुल- राजस्व व्यय	2,33,99.87	2,09,91.58	
राजस्व घाटा	राजस्व अधिशेष	13,69.69	14,27.87	
अनुभाग - ब: पूंजीगत						
पूंजीगत प्राप्तियां			पूंजीगत परिव्यय ^[3]			
			सामान्य सेवाएं	1,75.91	1,55.56	
			सामाजिक सेवाएं	10,29.78	8,66.31	
			आर्थिक सेवाएं ^[4]	30,12.74	21,37.50	
कुल पूंजीगत प्राप्तियां			कुल पूंजीगत परिव्यय	42,18.43	31,59.37	

[1] वेतन, सबसिडी एवं सहायता अनुदान के आंकड़ों का एक समेकित आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए सभी खण्डों के आंकड़ों को जोड़ दिया गया है। इस विवरणी में "सामाजिक" "सामान्य" एवं "आर्थिक" सेवाओं में दिए गए व्यय के आंकड़ों में वेतन, सबसिडी एवं सहायता अनुदान की राशि सम्मिलित नहीं है। (पाद टिप्पणी- 2 में स्पष्ट किया गया है)

[2] सरकार द्वारा सहायता अनुदान विविधक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, आदि को दिए जाते हैं जिन्हें एक लाईन मद में उपर दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति एवं करों, शुल्कों का समनुदेशन से भिन्न है तथा एक अलग लाईन मद "स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन" के अंतर्गत दर्शाया गया है। सहायक अनुदान खर्च में 'सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत ₹ 3,37.00 करोड़, 'इन्दिरा आवास योजना' के अंतर्गत ₹ 1,05.00 करोड़ खर्च की राशि वर्ष 2011-12 में तथा 'मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' के अंतर्गत ₹ 1,42.00 करोड़ एवं ₹ 2,73.27 करोड़ वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 क्रमशः में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि राज्य के आय-व्ययक में ये खर्च सहायक अनुदान के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं था।

[3] वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत व्यय में 'सहायक अनुदान' के रूप में क्रमशः ₹ 12.81 करोड़ एवं ₹ 4,52.51 करोड़ शामिल है। यह सरकार के राजस्व जमा से कम आँका जायगा।

[4] वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिए आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत व्यय में मुख्य शीर्षों '4515', '5054' एवं '5452' के अधिन 'वेतन' के रूप में क्रमशः ₹ 46.53 करोड़ एवं ₹ 43.56 करोड़ शामिल है।

2. प्राप्तियाँ एवं संवितरण का विवरण-क्रमांत

प्राप्तियाँ	2012-13		2011-12		संवितरण	
	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12
भाग-1 समेकित निधि अनुभाग - अ: राजस्व						
	(करोड़ रूपयों में)		(करोड़ रूपयों में)			
कर्ज एवं पेशगियाँ की वापसी	43.11	23.42	दिए गए कर्ज एवं उधार			
			सामान्य सेवाएं	18.50	12.40	
			आर्थिक सेवाएं	5,63.57	1,86.60	
			अन्य	18.74	18.10	
कुल कर्ज एवं पेशगियाँ की वापसी	43.11	23.42	कुल दिए गए कर्ज एवं उधार	6,00.81	2,17.10	
लोक ऋण प्राप्तियाँ			लोक ऋण का पुर्नभुगतान			
आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियाँ आदि)	49,60.35	26,38.70	आन्तरिक ऋण (बाजार कर्ज, राष्ट्रीय अल्प बचत निधियाँ आदि)	20,44.54	14,84.31	
भारत सरकार से कर्ज	2,38.65	32.53	भारत सरकार से कर्ज	1,38.52	1,54.71	
कुल लोक ऋण प्राप्तियाँ	51,99.00	26,71.23	कुल लोक ऋण का पुर्नभुगतान	21,83.06	16,39.02	
अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	अन्तर्राज्यीय परिशोधन का निवल	1,00.00	75.40	
कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ	52,42.11	26,94.65	कुल पूंजीगत परिव्यय	71,02.30	50,90.89	
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि	3,00,11.67	2,51,14.10	कुल व्यय समेकित निधि	3,05,02.17	2,60,82.47	
समेकित निधि में कमी	4,90.50	9,68.37	समेकित निधि में अधिशेष	
भाग- II आकस्मिकता निधि						
आकस्मिकता निधि	आकस्मिकता निधि	
भाग- III लोक लेखा ^[5]						
अल्प बचत	6,67.69	6,13.38	अल्प बचत	6,45.53	5,43.74	
आरक्षित एवं शोधन निधियाँ	2,79.80	1,38.58	आरक्षित एवं शोधन निधियाँ	4,03.23	2,43.71	
जमा	85,71.31	51,38.27	जमा	72,80.77	41,05.66	
पेशगियाँ	1,34.34	97.38	पेशगियाँ	1,34.91	1,00.14	
उचंत एवं विविध ^[6]	2,03,08.23	2,39,15.76	उचंत एवं विविध ^[6]	2,10,15.08	2,29,73.65	
प्रेषण	46,42.57	45,20.03	प्रेषण	47,84.27	45,02.89	
कुल प्राप्तियों लोक लेखा	3,46,03.94	3,44,23.40	कुल व्यय लोक लेखा	3,42,63.79	3,24,69.79	
लोक लेखा में कमी			लोक लेखा में अधिशेष	3,40.15	19,53.61	
अथ रोकड़ शेष	93.85	(-),8,91.39	अंत रोकड़ शेष	(-),56.50	93.85	
रोकड़ शेष में वृद्धि	(-),1,50.35	9,85.24	रोकड़ शेष में कमी	

[5] विस्तृत ब्योरे के लिए कृपया जिल्द II में विवरणी 18 देखें।

[6] "उचंत एवं विविध" में "अन्य लेखे" जैसे रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि शामिल है। इन अन्य लेखों के आंकड़ों के चलते आंकड़े बहुत बड़ा दिखता है। विस्तृत ब्योरे कृपया विवरणी 18 में देखा जाए।

3. प्राप्तियों का विवरण
(समेकित निधि)

विवरण	वास्तविक	
	2012-13	2011-12
(करोड़ रूपयों में)		
I – समेकित निधि		
क	कर राजस्व	
क 1	निजी कर राजस्व	
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	64,21.61
	राज्य उत्पाद शुल्क	5,77.92
	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,92.40
	वाहन कर	4,65.36
	विद्युत कर तथा शुल्क	1,10.72
	भू-राजस्व	96.38
	आय पर अन्य कर तथा व्यय	43.49
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	15.19
	माल तथा यात्री कर	0.51
क 2	करो के निवल आगमों का हिस्सा	
	निगम कर	29,41.08
	आय पर निगम कर से भिन्न कर	17,60.78
	सीमा शुल्क	13,60.60
	सेवा कर	11,95.96
	संघ उत्पाद शुल्क	9,24.66
	धन कर	4.97
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0.09
	जोड़ क	1,64,11.72
		1,41,23.82

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण	वास्तविक		
	2012-13	2011-12	
	(करोड़ रूपयों में)		
I – समेकित निधि- क्रमशः			
ख	करेतर राजस्व		
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	31,42.47	26,62.79
	ब्याज प्राप्तियां	72.23	44.16
	सड़क तथा सेतु	42.45	26.67
	श्रम तथा रोजगार	33.96	27.96
	मध्यम सिंचाई	24.65	21.67
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	20.48	15.42
	जल पूर्ति तथा सफाई	18.71	11.59
	मुख्य सिंचाई	18.63	18.86
	पुलिस	16.14	10.53
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	15.13	26.12
	अंशदान तथा लाभांश	15.00	1.17
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	14.30	17.01
	उद्योग	13.37	3.73
	अन्य सामाजिक सेवाएं	12.02	5.85
	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	11.18	35.11
	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	8.03	28.19
	उर्जा	7.92	0.15
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.23	8.93
	पर्यटन	5.18	0.17
	ग्राम तथा लघु उद्योग	5.12	3.59
	सहकारिता	4.77	14.28
	वानिकी तथा वन्य जीवन	4.22	3.71
	मछली पालन	4.21	3.59
	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों का अंशदान तथा वसूलियां	3.49	2.50
	सिविल पूर्ति	3.35	2.22

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण	वास्तविक	
	2012-13	2011-12
	(करोड़ रूपयों में)	
	I – समेकित निधि- क्रमशः	
ख	करेतर राजस्व-क्रमांत	
फसल कृषि-कर्म	2.73	11.63
लोक निर्माण कार्य	2.65	1.82
लघु सिंचाई	2.03	2.10
पशुपालन	1.86	1.62
जेल	1.62	2.30
लोक सेवा आयोग	0.98	3.32
आवास	0.87	0.89
सड़क परिवहन	0.34	3.11
विविध सामान्य सेवाएं	0.11	14.89
डेरी विकास	0.06	0.11
नागर विमानन	0.04	0.12
परिवार कल्याण	0.04	0.04
अन्य कृषि कार्यक्रम	0.03	0.28
सूचना तथा प्रचार	0.01	0.01
अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.01	...
आपूर्ति तथा निस्तारण	0.01	...
शहरी विकास	...	0.01
जोड़ ख	35,35.63	30,38.22

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमशः
(समेकित निधि)

अनुदान	वास्तविक	
	2012-13	2011-12
	(करोड़ रूपयों में)	
II – भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		
ग केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान योजनेतर अनुदान		
संविधान के अन्तर्गत अनुदान (राजस्व आर्डर का वितरण)
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	11,57.79	10,78.28
राज्य आपदा दायित्व निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	2,14.53	1,02.16
राष्ट्रीय बिपत्तियों के कारण आकस्मिक निधि के अन्तर्गत अनुदान
अन्य अनुदान	1,11.09	3,70.33
राज्य/संघक्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान		
ब्लॉक अनुदान जिसका (बा० सं० यो० से सहित)	19,53.98	17,93.73
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अन्तर्गत अनुदान	1,87.83	1,98.85
केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	30.00	16.28
अन्य अनुदान	2,22.13	3,95.75
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	30.81 (क)	66.87
केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	9,14.05	12,35.16(*)
विशेष योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान
जोड़ ग	48,22.21	52,57.41
जोड़ राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)	2,47,69.56	2,24,19.45

(*) वर्ष 2011-12 के दौरान पशुपालन के कुक्कुट विकास से संबंधित ₹ 52.50 लाख (2001-02 के लिए ₹ 35.78 लाख तथा 2002-03 के लिए ₹ 16.72 लाख) की वापसी की गई।

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान कृषि विभाग के राज्य बायो कन्ट्रोल प्रयोगशाला स्थापना से संबंधित 2004-05 के लिए ₹ 45.00 लाख की वापसी की गई।

3. प्राप्तियों का विवरण-क्रमांत
(समेकित निधि)

विवरण	वास्तविक	
	2012-13	2011-12
	(करोड़ रूपयों में)	
III – पूंजी, लोक ऋण एवं प्राप्तियाँ		
घ पूंजी प्राप्तियाँ
विनिवेश		
अन्य
जोड़ घ
ङ लोक ऋण प्राप्तियाँ		
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		
बाजार कर्ज	36,00.00	12,54.05
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	7,50.00	6,50.99
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	1.83	8.33
अन्य संस्थाओं से कर्ज	18.50	2,14.66
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2,21.23	2,81.48
अर्थोपाय पेशगियां	3,68.79	2,29.19
केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		
योजनेतर कर्ज
राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	2,38.65	32.53
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज
अन्य कर्ज
जोड़ ङ	51,99.00	26,71.23
च राज्य सरकार के द्वारा कर्ज तथा अग्रिमों की (वसूलियाँ) [1]	43.11	23.42
छ अंतरराज्यीय परिशोधन
कुल प्राप्तियाँ समेकित निधि (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)	3,00,11.67	2,51,14.10

[1] द्वितीय खंड के विवरण संख्या 7 एवं विवरण संख्या 16 में विस्तृत विवरण देखें।

4. व्यय विवरणी
(समेकित निधि)

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
(करोड़ रुपयों में)				
क-कार्यात्मक व्यय				
क	सामान्य सेवाएँ			
क 1	राज्य के अंग			
	संसद / राज्य / संघ	43.11	...	43.11
	राज्य क्षेत्र विधानमंडल			
	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/	5.10	...	5.10
	संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
	मंत्री परिषद	7.27	...	7.27
	न्याय प्रशासन	2,03.88	...	2,03.88
	निर्वाचन	30.02	...	30.02
क 2	राजकोषीय सेवाएँ			
	भू-राजस्व	1,70.73	...	1,70.73
	स्टाम्प एवं पंजीकरण	11.32	...	11.32
	राज्य उत्पाद शुल्क	14.92	...	14.92
	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	42.40	...	42.40
	वाहन कर	5.03	...	5.03
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर	0.62	...	0.62
	अन्य कर तथा शुल्क			
	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	2.31	...	2.31
	ब्याज अदायगियाँ	23,91.24	...	23,91.24
क 3	प्रशासनिक सेवाएँ			
	लोक सेवा आयोग	5.48	...	5.48
	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	1,57.02	...	1,57.02
	जिला प्रशासन	1,86.28	...	1,86.28
	खजाना एवं लेखा प्रशासन	14.10	...	14.10
	पुलिस	22,17.17	1,13.31	23,30.48
	जेल	78.92	...	78.92
	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	1.54	...	1.54
	लोक निर्माण कार्य	83.11	61.88	1,44.99
	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	93.73	0.72	94.45

4. व्यय विवरणी-क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
(करोड़ रुपयों में)				
क-कार्यात्मक व्यय-क्रमशः				
क	सामान्य सेवाएँ-क्रमांत			
क 4	पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ			
	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	29,31.19	...	29,31.19
	जोड़ सामान्य सेवाएँ	86,96.49	1,75.91	88,72.40
ख	सामाजिक सेवाएँ			
ख 1	शिक्षा, खेलकुद, कला एवं संस्कृति			
	सामान्य शिक्षा	42,89.41	90.76	43,80.17
	तकनीकी शिक्षा	73.16	...	73.16
	खेलकुद एवं युवा सेवाएँ	22.10	...	22.10
	कला एवं संस्कृति	26.61	...	26.61
ख 2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	7,28.10	1,46.84	8,74.94
	परिवार कल्याण	80.63	...	80.63
ख 3	जल पूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास			
	जल पूर्ति एवं सफाई	3,43.22	2,96.22	6,39.44
	आवास	41.08	8.77	51.85
	शहरी विकास	2,57.76	1,82.43	4,56.69
ख 4	सूचना एवं प्रसारण			
	सूचना तथा प्रचार	46.27	...	46.27
ख 5	अनुसूचित जातियों/जन-जातियो एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	5,63.88	1,94.39	7,58.27
ख 6	श्रमिक एवं श्रम कल्याण			
	श्रम तथा रोजगार	1,50.43	...	1,50.43
ख 7	समाज कल्याण तथा पोषण			
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	10,33.99	1,10.37	11,44.36
	पोषण	3,53.58	...	3,53.58
	प्राकृतिक आपदा के कारण रहत	2,80.92	...	2,80.92

4. व्यय विवरणी-क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
(करोड़ रुपयों में)				
क-कार्यात्मक व्यय-क्रमशः				
ख	सामाजिक सेवाएँ-क्रमांत			
ख 8	अन्य			
	अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.38	...	0.38
	सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ	17.07	...	17.07
	जोड़ सामाजिक सेवाएँ	83,08.59	10,29.78	18.50
				93,56.87
ग	आर्थिक सेवाएँ			
ग 1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप			
	फसल कृषि कर्म	3,06.09	8.00	...
	मृदा एवं जल संरक्षण	46.67
	पशुपालन	1,19.55
	डेरी विकास	68.43
	मछलीपालन	42.81	1.65	...
	वानिकी एवं वन्य जीवन	2,65.94	4.00	...
	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	85.96
	सहकारिता	54.47	2.75	...
	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.52
ग 2	ग्राम विकास			
	ग्राम विकास के लिए	56.02
	विशेष कार्यक्रम			
	ग्राम रोजगार	2,22.75
	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	14,89.40	8,86.85	1.87
ग 3	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण			
	मूख्य सिंचाई	1,06.59	2,82.24	...
	मध्यम सिंचाई	1,13.80	96.45	...
	लघु सिंचाई	60.90	1,94.91	...
	आदेश क्षेत्र विकास	0.11
	बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	...	17.48	...
ग 4	उर्जा			
	बिजली	14,60.20	...	5,41.70
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	1,00.00

4. व्यय विवरणी-क्रमशः
(समेकित निधि)

विवरण	राजस्व	पूँजी	ऋण एवं अग्रिम	कुल
(करोड़ रुपयों में)				
क-कार्यात्मक व्यय-क्रमांत				
ग	आर्थिक सेवाएँ-क्रमांत			
ग 5	उद्योग तथा खनिज			
	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	90.50	...	90.50
	उद्योग	1,11.97	...	1,11.97
	अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग	17.64	...	17.64
	उद्योग तथा खनिज पर अन्य व्यय	...	1.00	1.00
ग 6	परिवहन			
	नगर विमानन	40.26	...	40.26
	सड़क एवं सेतु	3,58.19	14,98.90	18,57.09
	सड़क परिवहन	29.83	4.54	34.37
	अन्य परिवहन सेवाएँ	2,97.59	...	2,97.59
ग 7	सामान्य आर्थिक सेवाएँ			
	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ	27.50	...	27.50
	पर्यटन	4.38	13.97	18.35
	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	20.52	...	20.52
	सिविल पूर्ति	7,91.24	...	7,91.24
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	2.96	20.00	22.96
	कुल आर्थिक सेवाएँ	63,94.79	30,12.74	99,71.10
घ	ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान			
	स्थानीय निकायों तथा पंचायती			
	राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन
ड	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज			
	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	...	18.74	18.74
च	लोक ऋण			
	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	...	20,44.54	20,44.54
	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	...	1,38.52	1,38.52
छ	अंतरराज्यीय परिशोधन			
	अंतरराज्यीय परिशोधन	...	1,00.00	1,00.00
	कुल ऋण, सहायता अनुदान एवं अंशदान	...	21,83.06	23,01.80
	जोड़ व्यय समेकित निधि	2,33,99.87	64,01.49	3,05,02.17

4. व्यय विवरणी समेकित निधि - क्रमशः
(समेकित निधि)

व्यय का उद्देश्य	2010-11			2011-12			2012-13		
	राजस्व	पूँजी	कुल	राजस्व	पूँजी	कुल	राजस्व	पूँजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ख. व्यय की प्रकृति									(करोड़ रुपये में)
वेतन	55,78.98	62.69	56,41.67	63,05.58	46.53	63,52.11	64,46.04	43.56	64,89.60
सहायक अनुदान (गैर वेतन)(क)	26,12.87	...	26,12.87	39,77.26	1,85.98	41,63.24
पेंशन प्रभार (#)	20,81.10	...	20,81.10	22,96.69	...	22,96.69	30,31.19	...	30,31.19
मुख्य कार्य (राज्य योजना)	1,21.35	13,76.39	14,97.74	2,50.11	20,59.69	23,09.80	49.47	27,58.53	28,08.00
ब्याज अदायगियाँ	22,27.54	...	22,27.54	22,67.08	...	22,67.08	23,91.25	...	23,91.25
उधार का पुर्नभुगतान	...	12,99.43	12,99.43	...	16,39.02	16,39.02	...	21,83.06	21,83.06
पूँजीगत परिसम्पत्ति के लिए सहायक अनुदान	2,38.00	...	2,38.00	11,74.38	2,52.87	14,27.25
सहायक अनुदान (वेतन)	16,66.55	...	16,66.55	13,46.17	13.66	13,59.83
आपूर्ति एवं सामग्रियाँ	9,88.87	40.29	10,29.16	12,44.16	38.43	12,82.59	11,42.14	67.62	12,09.76
अन्य व्यय	9,46.74	5,48.09	14,94.83	7,53.46	4,45.61	11,99.07	1,96.04	6,89.20	8,85.24
ऋण एवं अग्रिम	...	3,07.56	3,07.56	...	2,17.10	2,17.10	...	6,00.81	6,00.81
राज्य अंशदान (ख)	11,55.11	1,32.91	12,88.02	8,96.74	3,03.87	12,00.61	3,96.69	31.90	4,28.59
अनुरक्षण एवं मरम्मत	1,86.39	18.21	2,04.60	2,76.80	21.41	2,98.21	3,57.50	51.33	4,08.83
अनुशंसित राशि	1,00.57	1,00.91	2,01.48	2,66.80	...	2,66.80	3,49.67	...	3,49.67
केन्द्रांश	3,76.39	16.70	3,93.09	2,35.04	1,03.96	3,39.00	3,44.98	...	3,44.98
लघु कार्य	2,18.74	74.75	2,93.49	1,91.39	73.51	2,64.90	1,82.85	1,29.73	3,12.58
मानदेय	149.39	...	149.39	2,91.31	...	2,91.31
सबसिडी	80.44	...	80.44	2,86.38	...	2,86.38	2,69.62	...	2,69.62
छात्रवृत्ति/वृत्ति	1,37.01	12.73	1,49.74	2,26.40	21.70	2,48.10	2,24.11	30.57	2,54.68
नकद राहत	1,00.26	...	1,00.26	1,45.42	...	1,45.42	2,33.44	12.31	2,45.75
बिजली व्यय	1,43.17	...	1,43.17	45.88	...	45.88	1,51.20	0.02	1,51.22
संविदा भत्ता	37.27	...	37.27	48.85	...	48.85	1,12.50	0.10	1,12.60
मजदुरी	73.76	...	73.76	63.87	...	63.87	91.32	...	91.32
यात्रा व्यय	60.49	...	60.49	74.53	...	74.53	83.91	0.33	84.24
एक मुश्त	2,44.25	...	2,44.25	76.38	6.60	82.98

(क) "सर्व शिक्षा अभियान", "मध्याह्न भोजन", "इंदिरा आवास योजना" एवं "मनरेगा" में व्यय सहायक अनुदान में शामिल नहीं है चूंकि व्यय को सहायक अनुदान के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(ख) राज्य अंशदान में "मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" पर हुआ व्यय शामिल है।

(#) वर्ष 2012-13 के दौरान मुख्य शीर्ष 7810 अन्तर्राज्यीय परिशोधन के अन्तर्गत बिहार को पेंशन प्रभार के रूप में ₹ 1,00.00 करोड़ शामिल है।

4. व्यय विवरणी समेकित निधि - क्रमांत

(समेकित निधि)

व्यय का उद्देश्य	2010-11			2011-12			2012-13		
	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल	राजस्व	पूंजी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ख. व्यय की प्रकृति-क्रमांत									
(करोड़ रुपये में)									
कार्यालय व्यय	64.49	...	64.49	82.06	...	82.06	74.06	0.41	74.47
मशीन एवं उपस्कर	42.38	13.43	55.81	49.43	...	49.43	34.42	33.97	68.39
व्यवसायिक सेवाएं	40.31	...	40.31	2,09.40	...	2,09.40	61.14	0.58	61.72
मोटरगाड़ी	46.16	...	46.16	46.22	...	46.22	53.40	0.31	53.71
अंशदान	83.27	3,04.36	387.63	75.27	46.81	1,22.08	32.79	8.50	41.29
मेडिकल स्टोर आपूर्ति	35.24	...	35.24	19.85	...	19.85	21.22	11.33	32.55
विज्ञापन एवं प्रचार	15.83	...	15.83	43.06	...	43.06	28.10	...	28.10
वर्दी	16.08	...	16.08	23.18	...	23.18	26.41	0.05	26.46
प्रशिक्षण व्यय	17.24	...	17.24	17.89	0.23	18.12
अन्य प्रशासनिक व्यय	10.45	...	10.45	23.78	...	23.78	16.60	...	16.60
नई मोटर गाड़ी का क्रय	15.68	...	15.68	13.48	...	13.48	13.21	2.90	16.11
प्रशिक्षण भत्ता	12.74	...	12.74	15.36	0.43	15.79
सहायक अनुदान (क)	31,14.71	7.00	31,21.71
सेमिनार, प्रदर्शनी एवं प्रचार	13.69	0.10	13.79
किराया, दरे एवं कर/कर	11.39	0.04	11.43
शुल्क का हिस्सा (ग)									
निवेश	17.50	17.50
अन्य अनुबंधित सेवाएँ	99.25	...	99.25
खेल प्रोत्साहन	48.87	...	48.87
अन्य (प्रत्येक वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 10 करोड़ से कम व्यय शामिल है)	65.50	8.74	74.24	25.18	70.80	95.98	60.77	11.97	72.74
सकल व्यय	1,84,79.03	43,24.19	2,28,03.22	2,12,60.50	51,05.94	2,63,66.44	2,33,99.87	71,29.00	3,05,28.87
घटाएँ-वापसियाँ	5,34.30	52.89	5,87.19	2,68.91	15.06	2,83.97	...	26.70	26.70
निवल व्यय	1,79,44.73	42,71.30	2,22,16.03	2,09,91.59	50,90.88	2,60,82.47	2,33,99.87	71,02.30	3,05,02.17

(ग) "अन्य" में किराया, दरे एवं कर ₹ 9.20 करोड़ शामिल है।

लेखे पर टिप्पणियाँ

1. लेखाकरण नीतियों के अभिप्राय का सारांश:

- (i) **विद्यमानता और लेखाकरण अवधि:** ये लेखे झारखण्ड सरकार के 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक के लेन-देनों को प्रस्तुत करता है। जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्य (नदी घाटी परियोजनाओं सहित) तथा वन प्रमंडलों द्वारा प्रेषित आरंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक के एड्भाइसों के आधार पर झारखण्ड सरकार के प्राप्तियों एवं व्ययों के लेखे तैयार किए गए हैं। मासिक लेखे के प्रेषण में विलम्ब नगण्य रहा तथा वर्ष के अंत तक कोई भी लेखा असम्मिलित नहीं रहा।
- (ii) **लेखाकरण का आधार :** कुछ खाता समायोजनों (अनुबंध 'I') को छोड़कर ये लेखे लेखा अवधि के दौरान हुए वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करता है। भौतिक परिसम्पतियों और वित्तीय सम्पतियों यथा निवेश इत्यादि को ऐतिहासिक मूल्यों पर दर्शाया गया है, जैसे कि अधिग्रहण/खरीदे जाने के वर्ष के मूल्य पर। भौतिक परिसम्पतियों का अवमूल्यन या परिशोधन नहीं किया गया है। भौतिक परिसम्पतियों के जीवनकाल के अंत में हुई हानियों को भी व्ययित या मान्यता नहीं दी गई है।
लेखा अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृति हितलाभों को लेखे में दर्शाया गया है, परंतु सरकार के भविष्य में होने वाले पेंशन दायित्वों, जैसे कि अपने कर्मियों के विगत समय तथा वर्तमान सेवा के लिए सेवानिवृति हित लाभ के भुगतान के दायित्व को लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
- (iii) **मुद्रा जिसमें लेखे रखे जाते हैं :** झारखण्ड सरकार के लेखे भारतीय रूपया में संधारित किया जाता है।
- (iv) **लेखे का फार्म :** संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे को वैसे फार्म में रखा जाता है, जिसे राष्ट्रपति एवं भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के सलाह पर निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 150 में शब्द 'फार्म' का व्यापक अर्थ, लेखे को रखे जाने वाले विस्तृत फार्म का निर्धारण ही नहीं, बल्कि लेन देनों के वर्गीकरण के तहत उचित शीर्षों के चुनाव के आधार के लिए भी व्यवहृत होता है।
- (v) **राजस्व तथा पूंजी के बीच वर्गीकरण :** राजस्व व्यय, आवर्ती प्रकृति तथा राजस्व प्राप्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यय का माना जाता है। पूंजीगत व्यय निर्धारण वैसे व्यय से किया जाता है, जो कि एक द्रव्य के बढ़ते हुए ठोस परिसम्पतियों तथा स्थायी प्रकृति का होता है अथवा अनुक्रमित स्थायी दायित्व का होता है। यद्यपि, वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से ₹ 49.47 करोड़ की राशि उपलब्ध एवं 'मुख्य कार्य' के रूप में राजस्व अनुभाग के अंतर्गत व्ययित किया गया, जैसा कि अनुबंध 'II' में दर्शाया गया है। फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य इस सीमा तक कम बताया गया है।
- (vi) भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक-2 (भा०स०ले०मा०-2) के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में हुए व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान में ₹ 452.51 करोड़ की राशि को पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया (अनुबंध 'III')। फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राज्य सरकार का राजस्व आधिक्य इस सीमा तक कम बताया गया है। इस सम्बन्ध में, महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा राज्य सरकार को बजट पुर्नवीक्षण (मई 2012) में सुचित किया गया था, परंतु सुधार नहीं किया गया।

2. 12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणी/सूचना को सम्मिलित किए जाने की स्थिति

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर, दो विवरण, जैसे कि (i) वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों का कार्यान्वयन अथवा 31 मार्च 2013 को भविष्य में रोकड़ प्रवाह के लिये बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं तथा (ii) 31 मार्च 2013 के अंत में राज्य के भविष्य में वचनबद्ध दायित्वों पर सूचना, को परिशिष्ट XIII एवं XIV के रूप में शामिल किया गया है।

3. लेखे की गुणवत्ता

(i) लघु शीर्ष "800" - 'अन्य प्राप्तियाँ तथा 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज आँकड़े

लेखे के 16 राजस्व, पूंजीगत तथा ऋण मुख्य शीर्षों के व्यय पक्ष पर ₹ 776.11 करोड़, जो कि कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) का 6.02 प्रतिशत है, को संबंधित मुख्य शीर्षों के तहत लघु शीर्ष 800-'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसी तरह, लेखे के 45 राजस्व मुख्य शीर्षों के प्राप्त पक्ष पर ₹ 665.55 करोड़, जो कि कुल राजस्व प्राप्त का 5.69 प्रतिशत है, को संबंधित मुख्य शीर्षों के तहत लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज किया गया है। लेखे में सटीक लघु शीर्ष की अनुपलब्धता की दशा में ही लघु शीर्ष 800-'अन्य व्यय' तथा 'अन्य प्राप्तियाँ' का परिचालन किया जाना चाहिए। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये लेखे को अपारदर्शी बनाते हैं। दृष्टांत के रूप में जैसे यथेष्ट आनुपातिक (50 प्रतिशत या उससे अधिक) प्राप्तियों को लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, को अनुबंध 'IV' में सूचीबद्ध किया गया है।

(ii) प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान

झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 475 (viii) के अंतर्गत, सभी नियंत्री पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महालेखाकार द्वारा लेखांकित आँकड़ों के साथ सरकार की प्राप्त एवं व्यय का मिलान करें।

₹ 7101.97 करोड़ का व्यय, जो कि सरकार के कुल व्यय का 23.28 प्रतिशत है तथा ₹ 15370.35 करोड़ की प्राप्त, जो कि सरकार के कुल प्राप्तियों का 51.21 प्रतिशत है, का 59.44 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत नियंत्री पदाधिकारियों के द्वारा ही इस प्रकार से मिलान किया गया है।

(iii) महालेखाकार द्वारा सम्पादित रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित रोकड़ शेष के बीच के अन्तर का मिलान

31 मार्च 2013 को महालेखाकार द्वारा रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमा) के रूप में ₹ 56.50 करोड़ (जमा) सम्पादित किया गया। 31 मार्च 2013 को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सूचित रोकड़ शेष ₹ 57.06 करोड़ (नामे) था। ₹ 0.56 करोड़ (जमा) के निवल अन्तर में अक्टूबर 1987 के पूर्व के लिए मिलान नहीं किए गए ₹ 1.61 करोड़ (नामे) का अन्तर शामिल है। जिसके समायोजन/उन्मूलन के लिये राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच वार्ता जारी है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए अवशेष ₹ 2.17 करोड़ (जमा) के अन्तर का समायोजन कर लिया गया है (जुलाई 2013)। रोकड़ शेष की स्थिति के विस्तृत विवरण को विवरण सं० 18 के नीचे उद्धृत टिप्पणी में दर्शाया गया है।

(iv) असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए०सी०बिल) का अस्तित्व

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से सेवा शीर्ष से राशि की निकासी के लिए प्राधिकृत है एवं ऐसे समग्र मामले में विस्तृत आकस्मिक विपत्र संबंधित दस्तावेज सहित उनके द्वारा इस प्रकार उपस्थापित किया जाना चाहिए कि जिस माह से आकस्मिक विपत्र संबंधित है, उसके अगले माह की 25वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में पहुँच जाय। अभी तक वर्ष 2000-01 से 2012-13 (30.06.2013 की स्थिति) तक ₹ 5483 करोड़ के कुल 24666 डी०सी० विपत्र महालेखाकार कार्यालय को अप्राप्त रहे। आकस्मिक विपत्र के द्वारा राशि की निकासी संवितरण को दर्शाता है, न कि वास्तविक व्यय को। विलम्बित, विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का प्रेषण, आकस्मिक विपत्रों के द्वारा किए गए व्यय को अपारदर्शी बनाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिए गए है :-

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी		विस्तृत आकस्मिक विपत्र की प्रस्तुति		बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2010-11 तक	52489	11943	28773	7515	23716	4428
2011-12	1059	1600	538	1139	521	461
2012-13	547	917	118	323	429	594
योग	54095	14460	29429	8977	24666	5483

वर्ष 2012-13 में आकस्मिक विपत्रों द्वारा निकासी की गई ₹ 917 करोड़ में से केवल मार्च 2013 में ₹ 402.03 करोड़ की निकासी की गई, जिसमें से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ₹ 170.59 करोड़ की निकासी आकस्मिक विपत्रों द्वारा की गई। मार्च के महिने में आकस्मिक विपत्रों के विरुद्ध किया गया उल्लेखनीय व्यय दर्शाता है कि यह निकासी केवल बजट प्रावधान को खर्च करने के लिए की गई। यह बजट पर नियंत्रण की न्युनता को उद्घाटित करता है।

(v) राशि का समेकित निधि से लोक लेखे में स्थानापन्न

मार्च 2013 में निकासी की गई ₹ 2312.44 करोड़ की अनुदान राशि को सेवा शीर्ष को नामे कर स्थानीय निधि लेखे में स्थानान्तरित किया गया। ऐसे स्थानांतरण, विधायिका के अभिप्राय की सीमा में, वास्तविक व्यय को नहीं दर्शाते हैं।

(vi) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरुद्ध बकाया प्रमाणपत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 429 के तहत राज्य सरकार के स्वकृत्यादेश के विरुद्ध महालेखाकार (ले. एवं ह.) के द्वारा निर्गत प्राधिकारों के आधार पर सहायक अनुदानों का वितरण किया जाता है। राशि वितरण के एक वर्ष तक महालेखाकार (ले. एवं ह.) कार्यालय को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निर्धारित अवधि के उपरांत बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र, निहित उद्देश्यों के लिए अनुदान की उपयोगिता पर आश्वासन की कमी को दर्शाता है। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार से है।

वर्ष	प्रतिक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	सम्मिलित राशि (करोड़ रूपयों में)
2010-11 तक	2339	1737.14
2011-12	1080	1339.00
2012-13*	880	1554.34

(*) वर्ष 2012-13 के दौरान दिये गए अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र, वैसे मामलों को छोड़कर जिसमें स्वीकृति आदेश में अन्यथा कथन है, वर्ष 2013-14 के दौरान देय है।

(vii) व्यक्तिगत जमा खाता में निधि का स्थानान्तरण

नियमों के अधीन, व्यक्तिगत जमा खातों का संचालन, समेकित निधि से राशि का स्थानांतरण कर, विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में व्यक्तिगत खातों की अवशेष राशि को समेकित निधि में वापस स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार के द्वारा कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता नहीं खोला गया है। व्यक्तिगत जमा खातों में पूर्व वर्षों के अव्ययित राशि के रूप में ₹ 68.53 करोड़, जो राज्य अधिवक्ता कल्याण संघ निधि का प्रतिनिधित्व करता है, को झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्टी कमेटी के बैंक लेखे में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है।

4. अन्य मद

(i) सेवा निवृत्ति हितलाभों पर दायित्व

वर्ष के दौरान राज्य सरकार के 30.11.2004 को या उससे पहले के बहाल कर्मियों को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ में ₹ 2931.19 करोड़ व्यय हुआ (कुल राजस्व व्यय का 12.53 प्रतिशत)। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा 01.12.2004 से प्रभावित भर्तियों को नई पेंशन योजना के अनुसार मान्यता दी गई, जिसे अंशदायी पेंशन योजना के रूप में परिभाषित किया गया। नई योजना के अनुसार, कर्मी अपने मासिक वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करेंगे, जिसमें राज्य सरकार का सम योगदान होगा तथा सम्पूर्ण राशि को नेशनल सिविलियुटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन०एस०डी०एल०)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से पदधारी निधि प्रबंधक को स्थानांतरित किया जाएगा। कर्मियों को दिये जाने वाले वास्तविक राशि तथा राज्य सरकार द्वारा इसकी समराशि का निर्धारण नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा एन०एस०डी०एल०/ट्रस्टी बैंक में ₹ 110.01 करोड़ की राशि जमा की गई (विवरण संख्या 12 से संदर्भित) तथा कर्मियों के अंशदान के रूप में ₹ 109.78 करोड़ की राशि आर्भिक रूप से, निधि खाते को, तत्पश्चात्, एन०एस०डी०एल०/ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित किया गया (विवरण संख्या 18 से संदर्भित)। 31 मार्च 2013 को ₹ 13.41 करोड़ की राशि, निधि में बकाया रहा जिसे एन०एस०डी०एल०/ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित किया जाना है। असंग्रहित, असंगत तथा अस्थानांतरित राशि, ब्याज संग्रहण सहित, इस योजना के अन्तर्गत बकाया दायित्व को दर्शाते हैं।

(ii) गुप्त सेवा निधि के लिए पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखा के प्रमाणपत्र का अप्राप्त रहना

वर्तमान नियम के अनुसार, गुप्त सेवा निधि से हुए व्यय का, सरकार के द्वारा नियुक्त नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा, एक पर्याप्त वास्तविक प्रशासनिक लेखा का संचालन किया जाना चाहिए तथा इस संबंध में एक प्रमाणपत्र महालेखाकार को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित वर्ष से अगले वर्ष के 31 अगस्त तक प्रेषित किया जाना चाहिए। नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वर्षों से संबंधित प्रमाणपत्र लंबित है :-

वर्ष	व्यय एवं संवितरण पदाधिकारी	राशि (करोड़ रूपयों में)	प्रमाणपत्र उपस्थापन की नियत तिथि
2005-06	आरक्षी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक	8.30	31 अगस्त 2006 को या उससे पहले
2007-08	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	4.50	31 अगस्त 2008 को या उससे पहले
2008-09	अतिरिक्त आरक्षी महानिदेशक (विशेष शाखा)	2.50	31 अगस्त 2009 को या उससे पहले

(iii) कर्जे तथा अग्रिम

परिशिष्ट VIII के अनुबंध 'क', भारत सरकार द्वारा विज्ञप्त, भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक-3 (भा०स०ले०मा०-3) के अनुसार कर्जे तथा अग्रिम को विस्तृत रूप से उद्धृत करता है। कर्जे तथा अग्रिमों के ओभरड्यु मुलधन तथा ब्याज के संबंध में विस्तृत विवरण, राज्य सरकार, जो कि इस लेखे का निर्धारण करती है, से अपेक्षित रहने के कारण सूचना अपूर्ण है। 31 मार्च 2013 को, महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा संधारित व्यक्तिगत कर्जधारकों सहित, के अवशेषों को राज्य सरकार के द्वारा निश्चित नहीं किया गया है।

(iv) राज्य आपदा दायित्व निधि में स्थानान्तरण

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2012-13 के दौरान, "राज्य आपदा दायित्व निधि" खोला गया। दिशानिर्देशों के अनुसार, इस निधि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को 75:25 के हिस्से में अंशदान करना है। इसके तहत, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में 'राज्य आपदा दायित्व निधि' के केन्द्रांश के रूप में ₹ 214.53 करोड़ [वर्ष 2012-13 के लिए पहली (1 मई 2012) एवं दूसरी (11 नवम्बर 2012) किस्त के रूप में] निर्गत किया गया। राज्य सरकार

द्वारा राज्यांश के रूप में ₹ 286.04 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 214.53 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 71.51 करोड़) को राज्य आपदा दायित्व निधि” में वर्ष 2012-13 में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, राज्य सरकार ने केवल ₹ 143.02 करोड़ स्थानान्तरित किया है। इस लिए राज्य के राजस्व आधिक्य को इस अस्थांतरित (₹ 143.02 करोड़) की सीमा तक अधिक बताया गया है।

(v) उच्चत एवं प्रेषण का निवल आधार पर आकलन

वित्त लेखे, उच्चत एवं प्रेषण शीर्षों के निवल शेषों को दर्शाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों के विभिन्न शीर्षों में बकाया 'नामे' एवं बकाया 'जमा' शेषों को पृथक रूप से निकाल कर किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंतर्गत कुछ मुख्य उच्चत शीर्षों (मुख्य शीर्ष 8658 के अन्तर्गत) के सकल आंकड़ों की स्थिति अनुबंध 'V' में दर्शाए गए हैं।

(vi) आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार द्वारा (0.05 प्रतिशत की दर पर) देयताओं के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि तथा 12वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार गारंटी विमोचन निधि का सृजन नहीं किया गया है। 12वें वित्त आयोग की अवधि से, राज्य सरकार द्वारा ₹ 21947 करोड़ की कर्ज उगाही की गई। राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 10.97 करोड़ (कर्ज का 0.05 प्रतिशत) तक अधिक बताया गया है।

(vii) राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप, शेषों का आवंटन

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000, में प्रावधानित है कि पूर्ववर्ती बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के शेषों का बंटवारा 15 नवम्बर 2000 की तिथि से किस प्रकार से किया जाए। लोक ऋण तथा रोकड़ शेषों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उत्तरवर्ती राज्य बिहार तथा झारखंड के बीच बांट दिया गया है। जबकि पूंजीगत अनुभाग, कर्ज तथा अग्रिम और लोक लेखे अभी तक अविभाजित हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट XII में दिए गए हैं।

(viii) झारखंड राजकोषीय उतरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2007 में प्रकटीकरण की आवश्यकता

राज्य सरकार ने एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकटीकरण तैयार किया है :-

- (क) निर्धारित राजकोषीय सूचकांक के अभिकलन को दोषपूर्ण तरीके से प्रभावित कर रहे या करनेवाले, लेखाकरण मानकों, नीतियों एवं व्यवहारिकता में सार्थक परिवर्तन करने का विवरण।
- (ख) बजट, जिसमें सरकार, लोक उपक्रम तथा अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या का विस्तृत विवरण तथा तत्संबंधी वेतन, के साथ विशेष विवरण।
- (ग) बजट के संपादन तथा राजकोषीय लक्ष्यों/सूचकांक की प्राप्तियों पर एक रिपोर्ट विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।
- (घ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोषागारों में प्रस्तुत वैसे विपत्र, जिसकी नकदीकरण नहीं हुई है, का विवरण।
- (ङ) गतवर्ष के केन्द्र प्रायोजित योजनागत योजना के अंतर्गत राज्य के हिस्से का उपलब्ध नहीं कराया जाना तथा चालू वित्तीय वर्ष में वैसे राज्यांश के घाटे का प्रभाव।
- (च) किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त केन्द्रीय सहायता तथा उस वर्ष की समाप्ति पर उसका उपयोग नहीं किया जाना, तथा
- (छ) संवितरण नहीं किए गए, वैसे राशि जो सिविल जमा में रखे गए हैं।

झारखण्ड राजकोषीय उतरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रकटीकरण, अभी भी तैयार किए जाने की आवश्यकता है :-

- (क) आगामी दस वर्षों के लिए अनुमानित पेंशन दायित्व को वास्तविक आधार पर आकलन
- (ख) बकाया राजस्व (कर तथा करेतर राजस्व दोनों) को दर्शानेवाला एक अलग विवरण, प्राप्ति बजट के साथ, परिशिष्ट के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
- (ग) राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों को संस्था-वार दर्शानेवाला विवरण, जिसमें इन संस्थाओं द्वारा ऋण सुधार दायित्व एवं आकस्मिक दायित्व की विमुक्ति में किए गए चूक को, राज्य सरकार के लेखे में इन संस्थाओं के द्वारा किए गए चूक के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। लोक उपक्रमों/सहकारिताओं/शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा खोले गए निलम्बलेख लेखों की कार्य पद्धतियों को इस विवरण में दर्शाया जाना चाहिए।
- (घ) वित्तीय वर्ष में दिए गए कर-रियायत तथा कर-माफी को दर्शानेवाला विवरण
- (ङ) ऋण तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों को, परिपक्वता पार्श्विका तथा ब्याज दर के स्तर पर, पूरी जानकारी के साथ दर्शानेवाला विवरण। राज्य सरकार के द्वारा, भुगतान योग्य, प्राप्ति योग्य, इत्यादि सम्बंधी प्रकटीकरण नियत वैद्धता के बाद किया जाना है।

(ix) विभिन्न मुख्य योजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रांश एवं उसके सदृश राज्यांश की विमुक्ति

विभिन्न मुख्य योजनागत योजनाओं के लिए केन्द्रांश के रूप में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि एवं राज्य सरकार के द्वारा विमुक्त राशि में ₹ 1277.79 करोड़ की कमी का अन्तर था। उसके सदृश इन योजनाओं के लिए राज्यांश के रूप में भी राज्य सरकार द्वारा ₹ 681.86 करोड़ कम की राशि की विमुक्ति हुई। फलस्वरूप, राजस्व आधिक्य ₹ 1959.65 करोड़ की सीमा तक अधिक बताया गया है। विस्तृत विवरण, **विवरण सं० 12 के परिशिष्ट** में दर्शाया गया है।

(x) त्रुटिपूर्ण बुकिंग का राजस्व आधिक्य पर प्रभाव

त्रुटिपूर्ण बजटीकरण तथा राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का त्रुटिपूर्ण बुकिंग के फलस्वरूप राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य पर प्रभाव (विस्तृत विवरण पूर्व परिच्छेदों में दिया गया है) को नीचे दर्शाया गया है :-

परिच्छेद संख्या	इकाई	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव	
		अधिकथन	न्यूनकथन
1 (v)	पूँजी के स्थान पर राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण कार्य		₹ 49.47 करोड़
1 (vi)	राजस्व के स्थान पर पूँजी अनुभाग के अन्तर्गत सहायक अनुदान	₹ 452.51 करोड़	
4 (iv)	राज्य आपदा दायित्व निधि का अस्थानान्तरण	₹ 143.02 करोड़	
4 (vi)	निक्षेप निधि का सृजन नहीं किया जाना	₹ 10.97 करोड़	
4 (ix)	वैसे योजनागत योजना जिनके लिए केन्द्रांश की प्राप्ति हुई, पर व्यय नहीं किया जाना	₹ 1959.65 करोड़	

अनुबंध "I"

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवर्ती समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

क. महालेखाकार के द्वारा किए गए आवर्ती समायोजन						
क्रम सं.	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि (करोड़ रूपयों में)
			से		को	
1.	राज्य आपदा दायित्व निधि में केन्द्रांश तथा राज्यांश का स्थानांतरण	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	279.23
2.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण सहायता मद में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति	8235	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	3.23
3.	सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का समायोजन	2049	ब्याज अदायगियाँ	8009	राज्य भविष्य निधियां	185.07

अनुबंध "I"-क्रमशः

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवर्ती समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं.	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष				राशि (करोड़ रूपयों में)
			से		को	
1.	जिला प्रशासन के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2053	जिला प्रशासन	8448	स्थानीय निधियों की जमा	143.94
2.	वेतन के लिए विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा निदेशालय के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2202	सामान्य शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों की जमा	477.00
3.	वेतन के लिए प्राथमिक विद्यालयों (अल्पसंख्यक सहित) प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2202	सामान्य शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों की जमा	226.61
4.	13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत, पुनरीक्षित वेतन तथा भत्तों के भुगतान हेतु व्यक्तिगत खाता में जमा	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों की जमा	298.10
5.	अनुदान, चयनित प्रतिनिधियों का वेतन मानदेय; 13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को सामान्य कार्य सम्पादन हेतु अनुदान का व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2217	शहरी विकास	8448	स्थानीय निधियों की जमा	26.95
6.	वनस्पति शास्त्र महाविद्यालय की स्थापना हेतु बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	8448	स्थानीय निधियों की जमा	2.18

अनुबंध "I"-क्रमांत

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (ii) से संदर्भित)

महालेखाकार के द्वारा आवर्ती समायोजन तथा राज्य सरकार के द्वारा अन्य समायोजन को दर्शाने वाला विवरण

ख. राज्य सरकार के द्वारा किए गए अन्य समायोजन						
क्रम सं०	खाता समायोजन	लेखे का शीर्ष			राशि (करोड़ रुपयों में)	
			से	को		
7.	गैर अंगीभूत कार्य योजना, पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि के अंतर्गत जिला प्रशासन के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों की जमा	141.06
8.	गैर अंगीभूत कार्य योजना, पिछड़ा वर्ग अनुदान निधि के अंतर्गत जिला प्रशासन के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8448	स्थानीय निधियों की जमा	420.50
9.	आधार बीज के लिए खादी ग्रामोद्योग, सिल्क विकास योजना, बुनकर योजना, तसर कीट-उत्पादन तथा संग्रहण, झारक्राफ्ट उत्पादन, औद्योगिक तथा हस्तकरघा विकास के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	8448	स्थानीय निधियों की जमा	62.73
10.	झारखंड राज्य आवासीय बोर्ड, के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	6216	आवास के लिए कर्ज	8448	स्थानीय निधियों की जमा	2.00
11.	नगर पालिका/निगम जिला स्थानीय निधि, समिति के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	6217	शहरी विकास के लिए कर्ज	8448	स्थानीय निधियों की जमा	15.22
12.	संचरण के लिए झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के व्यक्तिगत खाता लेखा में स्थानांतरण	6801	विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज	8448	स्थानीय निधियों की जमा	358.88

अनुबंध "II"
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (v) से संदर्भित)
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण कार्य

मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष	उपशीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि (करोड़ रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
2014	00	114	09	13वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत न्यायिक अकादमी के संरचना हेतु निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	2.97
2029	00	102	11	राजस्व कचहरी एवं दामिन बंगला के निर्माण/ जीर्णोद्धार के लिए	0545 मुख्य निर्माण कार्य	2.28
2029	00	104	07	सैरात के अंतर्गत हाट, बाजार, मेला, तालाब, नदी घाटी का विकास	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.41
2029	00	796	11	राजस्व कचहरी एवं दामिन बंगला के निर्माण/ जीर्णोद्धार के लिए	0545 मुख्य निर्माण कार्य	3.88
2040	00	796	03	भू-अर्जन, निर्माण तथा संरचना विकास	0545 मुख्य निर्माण कार्य	5.86
2053	00	796	12	योजना भवन का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	1.00
2059	80	053	13	विद्युत कार्य प्रमंडल के अंतर्गत पूँजीगत रखरखाव कार्य	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.01
2202	02	109	06	इंदिरा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, हजारीबाग में भवन निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.14
2215	01	101	04	नगर निगम का शहरी जल पूर्ति योजना	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.00
2215	01	102	03	हैन्ड पम्प, तालाब एवं कूँआ-उच्च दाब ट्युबवेल्ल्स	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.12
2216	05	053	03	लोक निर्माण कार्य-राज्य में लोक निर्माण कार्य के भवनों से संबंधित लघु कार्य	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.15

अनुबंध “II”-क्रमशः
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (v) से संदर्भित)
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण कार्य

मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष	उपशीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि (करोड़ रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
1220	60	106	03	क्षेत्रीय प्रचार योजना-सूचना भवन का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.06
2225	01	789	22	बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास योजना का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	2.00
2225	02	796	47	शिक्षा-जनजातियों के जाहेर स्थान/हड़गाड़ी/मसना/सरना स्थलों के चारदीवारी का निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	2.98
2225	02	796	68	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना	0545 मुख्य निर्माण कार्य	2.76
2225	02	796	75	नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छात्रावास निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	1.20
2230	01	001	05	श्रम कार्यालयों के लिए भवन निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	3.35
2230	01	109	12	बीड़ी कार्य हेतु आवास निर्माण	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.40
2230	02	101	01	रोजगार सेवाओं का विस्तार	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.06
2230	02	796	01	रोजगार सेवाओं का विस्तार	0545 मुख्य निर्माण कार्य	1.85
2235	02	106	39	रिमाण्ड होम	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.04
2401	00	796	17	विभागीय आधारभूत संरचना का विकास	0545 मुख्य निर्माण कार्य	3.84

अनुबंध “II” - क्रमांत
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (v) से संदर्भित)
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्माण कार्य

मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष	उपशीर्ष	विवरण	विस्तृत शीर्ष	राशि (करोड़ रूपयों में)
1	2	3	4	5	6	6
2401	00	796	49	बीज ग्राम कार्यक्रम	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.70
2401	00	800	09	विभागीय आधारभूत संरचना का विकास	0545 मुख्य निर्माण कार्य	2.55
2401	00	800	49	बीज ग्राम कार्यक्रम	0545 मुख्य निर्माण कार्य	0.71
2851	00	107	10	रेशम उत्पादन योजना के लिए संरचना विकास	0545 मुख्य निर्माण कार्य	2.46
2851	00	796	33	आधारभूत शैक्षणिक संरचना का विकास	0545 मुख्य निर्माण कार्य	2.56
2851	00	796	47	रेशम उत्पादन का विकास- पोस्ट कोकून का विकास	0545 मुख्य निर्माण कार्य	1.00
3054	03	337	01	सड़क निर्माण कार्य	0545 मुख्य निर्माण कार्य	4.13
योग						49.47

टिप्पणी : मुख्य निर्माण कार्य के व्यय में भूमि का अधिग्रहण और ढाँचों की लागत शामिल है।

अनुबंध “III”
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 1 (vi) से संदर्भित)
पूँजी अनुभाग के अन्तर्गत सहायक अनुदान

मुख्य शीर्ष	नामकरण	विस्तृत एवं प्राथमिक शीर्ष कोड	नामकरण	राशि (करोड़ रूपयों में)
1	2	3	4	5
4055	पुलिस पूँजीगत परिव्यय	0678	गैर वेतन हेतु सहायक अनुदान	23.53
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	0678	गैर वेतन हेतु सहायक अनुदान	37.16
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	0678	गैर वेतन हेतु सहायक अनुदान	190.06
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	0679	पूँजीगत परिसम्पतियों के लिए सहायक अनुदान	182.44
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0646	वेतन हेतु सहायक अनुदान	0.21
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	0679	पूँजीगत परिसम्पतियों के लिए सहायक अनुदान	0.50
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	0646	वेतन हेतु सहायक अनुदान	8.04
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	0679	पूँजीगत परिसम्पतियों के लिए सहायक अनुदान	3.00
4702	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	0646	वेतन हेतु सहायक अनुदान	5.42
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय	0678	गैर वेतन हेतु सहायक अनुदान	1.00
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	0678	गैर वेतन हेतु सहायक अनुदान	0.15
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	0678	गैर वेतन हेतु सहायक अनुदान	1.00
योग				452.51

अनुबंध "IV"
(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 3 (i) से संदर्भित)
"अन्य प्राप्तियों" के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियों को विस्तृत रूप से दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	नामकरण	"800" के अंतर्गत दर्ज राशि	कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों पर "800" के अंतर्गत दर्ज राशि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
(करोड़ रूपयों में)					
1.	0041	वाहन कर	409.12	465.36	87.91
2.	0059	लोक निर्माण कार्य	2.53	2.65	95.47
3.	0215	जल पूर्ति तथा सफाई	18.58	18.71	99.31
4.	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	18.26	20.48	89.16
5.	0250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	11.81	12.02	98.25
6.	0401	फसल कृषि कर्म	2.27	2.73	83.15
7.	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	3.95	4.22	93.60
8.	0425	सहकारिता	4.30	4.77	90.15
9.	0515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	14.27	15.13	94.32
10.	0700	मुख्य सिंचाई	18.63	18.63	100.00
11.	0701	मध्यम सिंचाई	24.65	24.65	100.00
12.	0702	लघु सिंचाई	2.03	2.03	100.00
13.	0801	उर्जा	7.92	7.92	100.00
14.	0852	उद्योग	12.65	13.37	94.61
15.	1054	सड़क तथा सेतु	42.44	42.45	99.98
16.	1452	पर्यटन	5.18	5.18	100.00
17.	1456	सिविल पूर्ति	3.35	3.35	100.00
18.		अन्य मुख्य शीर्षों में "0029, 0030, 0039, 0040, 0043, 0045, 0047, 0049, 0051, 0055, 0056, 0057, 0070, 0071, 0075, 0210, 0211, 0220, 0230, 0404, 0405, 0435, 0851, 0853, 1053, 1055 तथा 1475"	63.61	11033.81	0.58
योग			665.55	11697.46	5.69

अनुबंध "V"

(लेखे पर टिप्पणियाँ के पैरा 4 (v) से संदर्भित)

वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखे के अन्तर्गत निवल आंकड़ों की स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

लघु शीर्ष का नाम	2010-11		2011-12		2012-13	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101-वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	58.26	54.15	44.63	43.47	5.66	4.48
निवल	नामे 4.11		नामे 1.16		नामे 1.18	
102-उचंत लेखा (सिविल)	97.33	63.44	85.21	49.53	1.27	0.55
निवल	नामे 33.89		नामे 35.68		नामे 0.72	
109- रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	(-)5.97	(-)7.50	(-)4.46	(-)7.26	(-)0.68	(-)0.76
निवल	नामे 1.53		नामे 2.80		नामे 0.08	
110- रिजर्व बैंक उचंत (केंद्रीय लेखा कार्यालय)	66.70	0.64	50.61	63.60	4.18	0.38
निवल	नामे 66.06		जमा 12.99		नामे 3.80	
111-विभागीय समायोजन लेखा उचंत
निवल	शून्य		शून्य		शून्य	
112--स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	...	109.76	220.44	351.53	...	115.58
निवल	जमा 109.76		जमा 131.09		जमा 115.58	

परिशिष्ट-1-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2013 को
	(लाख रूपयों में)	
(क) सामान्य रोकड़ शेष-		
(1) रिजर्व बैंक के पास जमा [1]	93,84.56	(-)56,50.06
(2) रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखा गया निवेश	4,41.03	7,46,57.03
जोड़-(क)	98,25.59	6,90,06.97
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश-(#)		
(1) विभागीय अधिकारियों अर्थात् वन और लोक-निर्माण विभाग के अधिकारियों के पास रोकड़	18,47.64	14,57.35
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम राशियाँ	10.85	10.85
(3) उद्विष्ट निधियों के निवेश
जोड़-(ख)	18,58.49	14,68.20
जोड़-(क) और (ख)	1,16,84.08	7,04,75.17

(#) यह रोकड़ शेष स्थिति में, बैंक खाते में स्थानांतरित अव्ययित शेष शामिल नहीं है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :-

(क) **रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य** : कोषागारों में रोकड़ तथा भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में जमा एवं पारगमन हेतु प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, "रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य" का निर्माण करते हैं। "रिजर्व बैंक में जमा" शीर्ष के अंतर्गत शेष वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे का सम्मिलित शेष बतलाते हैं। सम्पूर्ण रूप से रोकड़ की स्थिति को जानने के लिए, कोषागारों, विभागों एवं निवेशों के रोकड़ शेष, को "भारतीय रिजर्व बैंक में जमा" के शेष में जोड़ा जाना चाहिए।

(ख) **दैनिक रोकड़ शेष** : भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक दिन बैंक के पास ₹ 0.45 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि किसी भी दिन रोकड़ शेष इस न्यूनतम राशि से कम पड़ जाता है, तो इस कमी को समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट्स स्वीकृत करने हेतु दैनिक रोकड़ शेष [2] ज्ञात करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्रों सहित लेन-देनों के रिपोर्ट (भारतीय रिजर्व बैंक के काउन्टरों पर, अन्तर्शासकीय लेन-देन तथा एजेंसी बैंकों के द्वारा रिपोर्ट किए गए कोषागारों के लेन-देन) के साथ उस दिन के लिए मूल्यांकन करता है। इस प्रकार से ज्ञात किए गए रोकड़ शेष में, 14 दिनों के कोषागार विपत्रों की परिपक्वता, यदि कोई हो तो, को जोड़ा जाता है और अधिक शेष यदि कोई हो तो, न्यूनतम रोकड़ शेष को पूरा करने के बाद, कोषागार विपत्रों में पूर्णनिवेश किया जाता है। जब रोकड़ शेष इस न्यूनतम शेष या जमा शेष से कम पड़ जाता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिनों का कोषागार विपत्र परिपक्वता नहीं हो रहा है, तब भारतीय रिजर्व बैंक, धारित 14 दिनों के कोषागार विपत्र पर पुनः छूट देती है, ताकि कमी को पूरा किया जा सके। यदि उस दिन कोई भी धारित 14 दिनों का कोषागार विपत्र नहीं है, तब राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

[1] रिजर्व बैंक में जमा शीर्ष के अंतर्गत शेष, 16 अप्रैल 2013 तक भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए परामर्श के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित अंतर्शासकीय मौद्रिक समायोजन को लेखे में समाविष्ट करने के पश्चात ही निकाला जा सकता है।

[2] उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) 31 मार्च को वर्ष के अंत रोकड़ शेष को दर्शाता है, जो कि 16 अप्रैल तक निकाला जाता है। यह 31 मार्च का दैनिक शेष नहीं है।

परिशिष्ट-1-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश-क्रमांत

(ग) राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 280 करोड़ 01-01-2006 से प्रभावी थी। सरकार के प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर उसके बदले विशेष अर्थोपाय अग्रिम दिए जाने पर भी बैंक की सहमति ली गई। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को बैंक द्वारा समय समय पर संशोधन किया जाता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ जिस सीमा तक न्यूनतम शेष बरकरार रखा, वह नीचे दिया गया है :-

(i)	दिनों की संख्या, जिसमें बिना कोई अग्रिम लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	352
(ii)	दिनों की संख्या, जिसमें साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	11
(iii)	दिनों की संख्या, जिसमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष बरकरार रखा	2
(iv)	दिनों की संख्या, जिसमें उपरोक्त अग्रिम लेने के बाद भी न्यूनतम शेष से कम था लेकिन कोई ओभरड्राफ्ट नहीं लिया गया था	शून्य
(v)	दिनों की संख्या, जिसमें ओभरड्राफ्ट लिया गया था	शून्य

(घ) रोकड़ शेष में से ₹ 7,46.57 करोड़ का निवेश अन्य राज्य सरकारों के प्रतिभूतियों में किया गया। रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेशों पर वर्ष के दौरान ₹ 71.28 करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं किया था।

(च) उद्विष्ट निधियों में से किए गए निवेशों का ब्योरा विवरण संख्या 19 में दिया गया है।